


BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. No. 176 OF 2024



IN THE MATTER OF: -

AJIT KUMAR GUPTA



APPLICANT

VERSUS

STATE OF U. P. & ORS.

...RESPONDENTS

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF DIVISIONAL FOREST OFFICER, RENUKOOT, SONBHADRA, UTTAR PRADESH AS THE UNDERSIGNED IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 10.05.2024.**

I Bhanendra Singh aged about 36 years, S/o Shri Malkhan Singh, Divisional Forest Officer, Renukoot, Sonbhadra, State of Uttar Pradesh presently at Lucknow, do hereby most solemnly state and affirm as under;

1. I am the Divisional Forest Officer, Renukoot, Sonbhadra, State of Uttar Pradesh and fully conversant with the facts and circumstances of the present case. I affirm that this Affidavit is being filed by the Deponent in compliance of order dated 10.05.2024 of this Hon'ble Tribunal.

At the outset, with the utmost respect it is submitted that the undersigned has the highest respect and regard to the orders passed by the Hon'ble Tribunal and duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal in true letter and spirit.

3. That the Under Secretary, Government of Uttar Pradesh vide letter no. 1589/81-2-2024 dated 09.08.2024 has given reference of a letter no 185/6E-2-(NGT) dated 24.07.2024 with regard to the last order passed by this Hon'ble Tribunal dated 10.05.2024 in which it is mentioned that the report prepared has been approved by the Government. It is submitted here that the above letter by the Under Secretary, Government of Uttar Pradesh, the Divisional Forest Officer, Renukoot, Sonbhadra has been appointed as the representative of the Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, State of Uttar Pradesh in the Joint Committee and for filing the response on his behalf as well. That therefore, this affidavit is from the undersigned in capacity of Divisional Forest Officer, Renukoot, Sonbhadra and on behalf of the Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, State of Uttar Pradesh.

True copy of the letter no. 1589/81-2-2024 dated 09.08.2024 from Under Secretary, U.P. is annexed herein as ANNEXURE R1.

4. That the Original Application pertains to the Letter Petition sent by the applicant to this Hon'ble Tribunal which was treated and registered as O.A. No. 176/2024 on the date of 29.04.2024. That this application points to the illegal encroachment involving cutting

*Ambrish Kumar*  
22.8.24  
**AMBRISH KUMAR**  
ADVOCATE & NOTARY  
Vill. Dax, G. Anaiya  
Aampur, Janabi, Lucknow

*Ambrish Kumar*

down of forest trees for various illegal activities imposing threat to life of the Reserve Forest, wildlife and aquatic animals by the Chairman Digvijay Pratap Singh (hereinafter referred to as 'Chairman') and Executive Officer (hereinafter referred to as 'EO') of Nagar Panchayat Pipri in the Reserve Forest of Dongia Reservoir Pipri, Sonbhadra (hereinafter referred to as 'Reservoir'). It is important to submit here that this Reserve Forest area is home to a wide range of wild animals like the deer, leopard, porcupine, wolf, peacock, langur, monkey and particularly the area of the Reservoir is inhabited by crocodiles as they have their basking site on an island in the middle of this Reservoir. That the illegal activities/encroachments being done here by the Chairman, the EO and their relatives include:

- i) Construction of an illegal Cow Shed by occupying land illegally
- ii) Widening of the road in the Forest area illegally
- iii) Efforts in making a restaurant and tourist boating activity in the Reservoir area especially including the island situated in the middle of it
- iv) Illegally attempting to settle their kins and peers in the forest area to occupy and hold the land
- v) Killing of wild animals like crocodile by beheading it brutally as reported in the post mortem by the Forest Department and reported hunting/killing of a deer and a peacock.



That by referring to the above illegal activities, the applicant has prayed before this Hon'ble Tribunal to:

- a. Pass an order to stop such illegal activities as they are clearly hampering the forest area, its inhabitants, the environment, nature and human life at large.
  - b. Take disciplinary and punitive action to punish the Chairman, EO and their respective relatives as per the rules laid down by the law.
  - c. Pass an order to the District Administration and Tourism Department to stop boating, building of illegal roads, restaurants, etc. and any other kind of illegal tourism activities taking place in the Reserve Forest area with immediate effect.
6. That this Hon'ble Tribunal in the last hearing of the matter dated 10.05.2024 passed an order to direct the respective respondents from 1 to 6 to file a response with regard to the matter at hand. That the operative part of this last order dated 10.05.2024 is mentioned below:

*"4. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Development Department, Government of Uttar Pradesh, (3) Principal Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, (4) Divisional Forest Officer, Sonbhadra, (5) Uttar Pradesh State Pollution Control Board, (6) District Magistrate, Sonbhadra who stand impleaded as respondents No. 1 to 6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 6 through email requiring them to file their reply/response.*

*AMBRISH KUMAR*  
 22-8-24  
 ADVOCATE & NOTARY  
 Vill. Devi Gaur, Anava  
 Adampur, Janubi, Lucknow

*AM*

6. Reply/response by respondents no. 1 to 6 and Report of the Joint Committee be filed within two months through e-filing portal in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF."


7. It is submitted here with great humility and respect to this Hon'ble Tribunal that in compliance of the last order mentioned above, the Divisional Forest Officer, Renukoot Forest Division, Renukoot, Sonbhadra (hereinafter referred to as '**undersigned**') has taken action and formulated a report to disclose about the current situation and developments that have taken place in the Reserve Forest area which is annexed herein. It is pertinent to mention here that Sonbhadra District is divided into three Divisions and the matter at hand comes under the Jurisdiction of the Renukoot Forest Division where the undersigned mentioned above is in charge, therefore it is humbly pleaded before the Hon'ble Tribunal to acknowledge the same.  
True copy of the report has been annexed herein as **ANNEXURE R2**.

8. It is important to submit here that the area in question was designated as Class-B Forest, considered a reserved forest since 1907 under the Indian Forest Act of 1927. That in 1950, it was transferred to the forest department for management by order of the Governor of Uttar Pradesh. However, despite this, a notification establishing the Nagar Panchayat-Pipri was issued in 1958, as according to the law, any Old Reserved Forest must be Re-Notified under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927, before it can be declared reserved again under Section 20. It is therefore submitted that in 1966, the Governor issued a notification to re-notify the area, and the matter is now proceeding through forest settlement as per the Indian Forest Act of 1927.

9. That as per the report prepared on behalf of the undersigned, all the said accusations and contentions of the applicant mentioned in their letter petition have been taken into account and multiple enquiries and investigations have been done to attain a clear picture as to what kind of illegal activities are being conducted in the Pipri region of the Reserve Forest. It is submitted here that after examining the accusation of hunting and killing of wild animals in this region, it was found that no such activity has taken place as the said killings of the crocodile and cheetal were natural in nature as per the post-mortem report from the Veterinary Officer, Veterinary Hospital, Pipri-Sonbhadra, Dimbulganj-Sonbhadra and Myorpur-Sonbhadra.

10. It is important to mention here that it had come to the knowledge of the Forest Department that widening of the road was being done illegally by Mr. Om Prakash Dubey s/o Ram Bahal Dubey, Ashlam s/o Alim Ali, Raj Kumar s/o Lalita Prasad and Mr. Vijay Patel s/o Pradhuman Patel and instant action was taken against them by filling an H-2 complaint with case no. 10/2023-24 dated 03.01.2024. That after such complaint being registered against them the illegal work of road extension was put to a stop.

11. It is submitted here that a tender was released by the State Finance Commission for the Ward No. 2/9 of the Reservoir to construct floating jet tee, cleaning, barricading with iron angle mesh and installation of coloured cemented benches, etc. with a quoted amount of Rs. 9.60 lakh with Office Adarsh Nagar Manual method and information of the same was published in the newspaper by the Panchayat Pipri-Sonbhadra. It is also




AMBRISH KUMAR  
ADVOCATE & NOTARY  
VILL. Devi Gani, Anava  
Adampur, Janubi, Lucknow

B.A.

submitted here that as soon as the publication became known to the Forest Department, then they immediately informed the Nagar Panchayat not to execute any such tender as the Reserve Forest area falls under the jurisdiction of the Government of India and no such non-forestry work can be done without attaining prior permission from the Central Authorities. That they were also alerted that if they do not stop the work or get prior permission from the Central Authorities then legal action would be taken against them by the Forest Department.


12. That apart from such illegal activities, illegal cutting down of trees, installation of iron tin and gate and illegal encroachment was also being done by Mr. Pradeep Kumar Singh alias Ranu s/o Chhotalal Singh, Mr. Vijay Bahadur Yadav, EO, Nagar Panchayat Pipri-Sonbhadra, Mr. Digvijay Singh s/o Shatrughan Singh, Mr. Anil Kumar s/o R.P. Singh. It is submitted here that as soon as such illegal encroachments came to the knowledge of the Forest Department, an H-2 Complaint with case no. 19/2019-20 dated 31.07.2019 and an FIR with no. 155/2019 dated 01.08.2019 were lodged against them for taking strict action. It is germane to mention here that in regard of the same case no. 6001/2020 is pending before the Hon'ble Court of Chief Judicial Magistrate I Class, Magistrate Sonbhadra.



13. It is submitted here that after enquiry about another case of illegal encroachment to build a new boundary wall and installing an iron gate which was done by Mr. Ajay Gupta s/o Ram Kishore Gupta, Mr. Shiv Pratap Singh s/o Shatrughan Singh, an H-2 complaint with case no. 30/2019-20 dated 17.10.2019 and FIR with no. 184/2019 dated 18.10.2019 were lodged and registered against them by the Forest Department. It is also submitted here that another case pertaining to these complaints is pending before the Hon'ble Court of Chief Judicial Magistrate I Class, Magistrate Sonbhadra with case no. 2082/2022. It is important to mention here that Mr. Shiv Pratap Singh is the real brother of Mr. Digvijay Pratap Singh.

14. It is submitted here with utmost regard to this Hon'ble Tribunal that necessary actions have been taken against the said persons mentioned above and all such illegal activities have been put to a complete stop for safeguarding, preserving, protecting and conserving the environment for a more sustainable eco system. It is also submitted by the undersigned here that there is constant and continuous monitoring of the Reserve Forest area for not letting such illegal and prohibited activities to take place in the coming future.

15. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

  
 AMBRISH KUMAR  
 ADVOCATE & NOTARY  
 VIII, Darsi Ganj, Anaiya  
 Adampur, Janubi, Lucknow

  
 DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Lucknow on this 22<sup>th</sup> day of August, 2024, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 13 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



*[Handwritten signature]*

DEPONENT

Sworn and verified before me

*[Handwritten signature]*  
22-8-24

AMBRISH KUMAR  
ADVOCATE & NOTARY  
Vill. Devi Ganj, Anaiya  
Adampur, Janubi, Lucknow

Identity of the deponent person  
who has Signed/I. T. *[Handwritten signature]*  
22-8-24 me.

संख्या- 1589 / 81-2-2024

प्रेषक,

दिनेश कुमार सिंह,  
अनु सचिव,  
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
और विभागाध्यक्ष,  
उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक ०९ अगस्त, 2024  
विषय- मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष दाखिल ओ० ए० नम्बर-  
176/2024 अजीत कुमार गुप्ता बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य में अनुपालन संबंधी शपथ-पत्र  
दाखिल किये जाने के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०- को०के० 185/6ई-2-(एन०जी०टी०), दिनांक  
24.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उपलवध करायी गयी प्रस्तरवार आख्या  
शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० एन०जी०टी० के आदेश  
दिनांक 10.05.2024 के अनुपालन में संयुक्त समिति में अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं  
जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रतिनिधि के रूप में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को नामित किया  
जाता है।

3- अतः अनुरोध है कि मा० एन०जी०टी० में निर्धारित तिथि 23.08.2024 से पूर्व अपर  
मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन की ओर रिस्पॉन्स दाखिल किये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को  
निर्देशित करने का कष्ट करें।

Signed by भवदीय,  
Dinesh Kumar Singh (दिनेश कुमार सिंह)  
Date: 09-08-2024 12:25:54 अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव -

प्रतिलिपि - प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को इस निर्देश के साथ प्रेषित  
कि अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० के प्रतिनिधि के रूप में  
मा० एन०जी०टी० में निर्धारित तिथि 23.08.2024 से पूर्व रिस्पॉन्स दाखिल करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

दिनेश कुमार सिंह  
अनु सचिव



Am

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष  
दाखिल ओ०ए० नम्बर 176/2024 अजीत कुमार गुप्ता बनाम  
उ०प्र०राज्य व अन्य मे अपर मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं  
जलवायु परिवर्तन उ०प्र० एवं प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट  
सोनभद्र की आख्या ।

रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत स्थित डोंगिया जलाशय पिपरी सोनभद्र के रिजर्व फारेस्ट मे नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन, चेयरमैन के रिश्तेदार तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पिपरी द्वारा जंगलो को कटवा कर अवैध कब्जा करने तथा वन, वन्यजीवो एवं जलीय जंतुओं के जीवन को उत्पन्न संकट आदि के संबंध मे श्री अजीत कुमार गुप्ता द्वारा रजिस्टर्ड डाक से दिनांक-19.02.2024 को माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित करते हुए नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन एवं अधिशासी अधिकारी तथा अन्य के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया ।

उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर माननीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या- 176/2024 दर्ज करते हुए दिनांक-10.05.2024 को अंतरिम आदेश पारित किया गया। पारित किये गये आदेश एवं उसमे बनाये गये पक्षकार का विवरण निम्न प्रकार है :-

- 1-State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh.
- 2-Principal Secretary Irrigation and Water Resources Development Department Government of Uttar Pradesh.
- 3-Principal Secretary Department of Environment, Forest and Climate Change Government Uttar Pradesh.
- 4-Divisional Forest Officer, Sonbhadra.
- 5-Uttar Pradesh State Pollution Control Board.
- 6-District Magistrate Sonbhadra.

ORDER

- 1- Mr. Ajit Kumar Gupta has sent by post to this Tribunal the present letter petition which has been treated and registered as O.A. No. 176/2024
- 2- The relevant part of the letter petition enumerating grievances of the applicants is reproduced as follows:-

विषय:- डोंगिया जलाशय पिपरी सोनभद्र के रिजर्व फारेस्ट मे नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन तथा E.O.(Executive Officer)द्वारा जंगलो को कटवा कर अवैध कब्जा करने तथा वन, वन्यजीवो एवं जलीय जंतुओं के जीवन को उत्पन्न आसन्न संकट विषयक ।

महोदय,

निवेदन है कि डोंगिया जलाशय पिपरी, सोनभद्र का सम्पूर्ण हिस्सा रिजर्व फारेस्ट मे आता है तथा यहाँ घना जंगल है, जिसमे हिरण, तेंदुआ,साही, भेंड़िया, मोर, लंगूर, बंदर तथा अन्य जंगली जानवरो का निवास स्थान है तथा डोंगिया जलाशय के जल मे मगरमच्छो का निवास है तथा पानी के बीच स्थित टापू पर मगरमच्छो का मिलन स्थल (Basking site) है । इस जगह पर नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन दिग्विजय प्रताप सिंह तथा E.O.(Executive Officer)द्वारा अपने लोगो के साथ मिलकर रिजर्व फारेस्ट के जंगल को चोरी छिपे कटवा कर स्वयं तथा अपने भाईयो और सम्बन्धियो द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। वन विभाग की जमीन पर नगर पंचायत पिपरी के अध्यक्ष द्वारा अवैध कब्जा करके गौशाला का निर्माण भी किया गया है। वहाँ कई जगहो पर इनके भाईयो, मित्रो तथा रिश्तेदारो तथा सगे संबंधियो को भी इन्होंने कब्जा करवाया है, जिसके लिए इनके उपर कई बार वन विभाग ने मुकदमा भी दर्ज कराया है । वर्तमान समय मे नगर पंचायत पिपरी अध्यक्ष दिग्विजय प्रताप सिंह, कार्यकारी अधिकारी तथा इनके साथ के लोग मिलकर वन विभाग के रिजर्व फारेस्ट मे स्थित डोंगिया जलाशय तक जाने के लिये पेड़ो को काटकर सड़क चौड कर रहे है तथा डोंगिया जलाशय पर



Chin

यहाँ पर व्यक्तिगत बोटिंग स्थापित करना चाहते हैं। तथा साथ ही साथ पानी के बीच स्थित एक टापू पर, जो से आच्छादित है पर भी पेड़ों की कटाई करवा के अवैध कब्जा कर रेंस्टोरेंट खोलने की कवायत चल रही है। एए अपने लागो को भी रिवर्ज फारेस्ट में अवैध रूप से बसाने हेतु जंगलो की कटाई इन लोगो द्वारा कराया जा है। इसके लिए वन विभाग पिपरी ने उनके ऊपर कार्यवाही भी किया है, लेकिन वन विभाग द्वारा किये जा रहे किसी भी कार्यवाही का उनके उपर कोई असर नहीं है। बल्कि नगर पंचायत पिपरी के अध्यक्ष दिग्विजय प्रताप सिंह स्वयं को जंगल का राजा व भू माफिया कहते हैं और एक दबंग प्रकार के व्यक्ति हैं। उनके इस प्रकार के क्रिया कलापो से वन, वन्यजीवो, जल-जीवो तथा मानव जीवन को भी खतरा है। वहाँ आये दिन अवैध कब्जो को लेकर जंगलो की अवैध कटाई होती रहती है तथा वन्य जीवो का शिकार भी किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़े मगरमच्छ को मार कर बड़े ही बेरहमी से उसका सिर, धड़ से अलग कर दिया गया जिसका पोस्टमार्टम वन विभाग पिपरी द्वारा कराया गया। इसके पूर्व शिकार कर के हिरण तथा मोर को भी मारा गया। इन सभी मृत जीवो की फोटो साथ में संलग्न है तथा इसका पूर्ण विवरण वन विभाग पिपरी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वहाँ (डोंगिया जलाशय पिपरी) पर नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन द्वारा अवैध कब्जा करने का प्रयास जारी है तथा पानी के बीच स्थित उक्त टापू पर जो मगरमच्छो का बास्किंग साइट है पर रेंस्टोरेंट बनाने के लिए जिला प्रशासन तथा वन विभाग पर उसर से (शासन तथा सरकार को भ्रमित कर के तथा गलत सूचना के आधार पर) दबाव डलवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही डोंगिया जलाशय, रिहंद डैम काफी संवेदनशील एरिया है तथा काफी गहरा है। वहाँ की स्थिति को देखते हुए वहाँ पर्यटन को बढ़ावा हेतु नौका संचालन कर रही संस्था ने भी 3 माह पूर्व ही लिखित रूप से जिला पर्यटन अधिकारी सोनभद्र को, वहाँ (डोंगिया जलाशय पिपरी में) किसी भी पर्यटन सम्बन्धी क्रिया कलाप को न करने संबंधी अपना सुझाव/रिपोर्ट दिया था, जिसकी कापी साथ में संलग्न है। उक्त संस्था द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी सोनभद्र ने नौका संचालन तुरंत बंद करा दिया गया। वन विभाग पिपरी ने वन क्षेत्र पर अवैध कब्जा को लेकर नगर पंचायत पिपरी के वर्तमान चेयरमैन दिग्विजय प्रताप सिंह, उनके भाई, मित्रो सम्बन्धियो तथा नगर पंचायत पिपरी के कार्यकारी अधिकारी के ऊपर भी किया है तथा केस भी काटा है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

FIR No. 155/2019  
Sections(धाराएं) -  
1.5/26 of IFA-1927  
2.3(2) of FCA 1980  
3-27,29,39 D, Sec of WLPA 1972  
4.3(2)s. of Public Property 1984  
5.Sec 447 of IPC

अभियुक्त

1. अनिल सिंह पुत्र आर०पी०सिंह
2. दिग्विजय सिंह पुत्र शत्रुघन सिंह

आरोप पत्र संख्या -A-158 11/09/2019

मुकदमा संख्या-6001/2020

CJM Court Sonbhadra

कुछ प्राप्त FIR की कापी साथ में संलग्न है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि डोंगिया जलाशय, रिहंद डैम का हिस्सा होने के कारण अति संवेदनशील है। उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा वन, वन्य जीवो, जल-जीवो, प्रकृति, पर्यावरण तथा मानव जीवन को उत्पन्न आसान संकट से बचाने हेतु वहाँ किसी भी प्रकार के पर्यटन संबंधित क्रियाकलापो तथा टापू पर नगर पंचायत द्वारा बनाए जाने वाले रेंस्टोरेंट को पूरी तरह से रोक देने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे। तथा साथ ही नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन दिग्विजय प्रताप सिंह तथा उनके भाईयो, मित्रों तथा नगर पंचायत पिपरी के कार्यकारी अधिकारी के ऊपर अवैध कब्जा व दंडात्मक कार्यवाही करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा साथ ही जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग को भी वहाँ नौका बिहार तथा किसी भी प्रकार के पर्यटन विकास के कार्यों

22.8.21

Qid

प्रभाव से बंद करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे, ताकि वन, वन्यजीव , जल जीव साथ-साथ मानव जीवन, प्रकृति तथा पर्यावरण भी सुरक्षित हो सके ।

3- Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010

4. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh , (2) Principal Secretary . Irrigation and Water Resources, Development Department of Environment, Forest and Climate Change , Government of Uttar Pradesh (4) Divisional Forest Officer, Sonbhadra, (5) Uttar Pradesh State Pollution Control Board, (6) District Magistrate, Sonbhadra who stand impleaded as respondents Non. 1 to 6 . The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 6 through email requiring them to file their reply/response.

5. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, Se constitute a Joint Committee comprising of representatives of Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Development Department, Government of Uttar Pradesh, Principal Secretary, Department of Environment Forest and Climate Change , Government of Uttar Pradesh and Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Sonbhadra and Divisional Forest Officer, Sonbhadra direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent , verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Uttar Pradesh Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Reply/response by respondents no 1 to 6 and Report of the Joint Committee be filed within two months through e-filing portal in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

7. List the matter for further consideration on 23.08.2024

8. A copy of this order be forwarded by e-mail to Principal Secretary Irrigation and Water Resources Development Department . Government of Uttar Pradesh, Principal Secretary Department of Environment , Forest and Climate Change. Government of Uttar Pradesh , Member Secretary Uttar Pradesh Pollution Control Board, District Magistrate, Sonbhadra and Divisional Forest Officer, Sonbhadra for requisite compliance.



*(Handwritten signature)*

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष  
 आवेदन संख्या ओ0ए0 नम्बर 176/2024 अजीत कुमार गुप्ता बनाम  
 उत्तर प्रदेश व अन्य में वादी के कथन पर विभाग की स्थिति  
 निम्नानुसार है :-

उ.प्र. सरकार द्वारा जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग में स्थित रिहन्द डैम एवं उससे सम्बन्धित प्रयोजनों हेतु निम्न विवरण के अनुसार भूमि हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी :-

क्रम सं०	हस्तान्तरित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	हस्तान्तरित भूमि का क्षेत्रफल (हे०मे०)	हस्तान्तरित भूमि में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	शासनादेश संख्या व दिनांक	अभ्युक्ति
1	673.00	272.4144	लभरी, मकरा एवं सेन्दूर	2021/एफ./23-87-एच.-47 दिनांक- 21.08.1948	सिंगरौली स्टेट से हस्तान्तरित भूमि
2	3285.00	1329.6903	पिपरी	629/सी-167-सी/1948 दिनांक- 26.01.1949	दुद्धी गवर्नमेन्ट स्टेट से हस्तान्तरित भूमि
3	2470.00	999.7976	रिहन्द जलाशय का डूब क्षेत्र	5588/14-687/1957 दिनांक-24.08.1957	वन विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि

योग-6428 एकड़(2601.9023हे०) (संलग्नक 1-3)

कार्य योजना वर्ष 1949-50 से 1963-64 तक के अनुसार, जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व शासनादेश संख्या- 369/1941 दिनांक- 18.12.1942 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में शासनादेश संख्या- 912/आई०सी०-32(21) सी० 1949 दिनांक- 15/16 मई 1950 द्वारा दुद्धी गवर्नमेन्ट स्टेट की राजस्व विभाग के नियंत्रण में स्थित समस्त भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी । (संलग्नक -4)

वन विभाग द्वारा वर्ष 1949-50 से 1963-64 तक के लिए दुद्धी गवर्नमेन्ट स्टेट फारेस्ट डिवीजन द्वारा बनायी गयी कार्य योजना के अनुसार क्षेत्रफल को तीन क्लासों A, B & C में बांटा गया है:-

Class A Forests were those declared as fully reserved during the Settlement Operations of 1871-1876 and generally constituted of all the larger blocks of forests. Class B forests were declared as reserved in 1907. While Class C protected forests were declared as such in 1919.

(संलग्नक -5(i-vi))

ग्राम-पिपरी की उक्त क्षेत्रफल 3285 एकड़ जो मुर्धवा वन ब्लॉक क्षेत्रफल 12282 एकड़ का हिस्सा है जो Class- B कैटेगरी के अन्तर्गत आता है तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश 1965 की धारा-20 के अन्तर्गत रखात (आरक्षित) वन भूमि की श्रेणी में रहा।

भारतीय वन अधिनियम 1927 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश 1965 की धारा-20 के निम्न प्राविधान निहित है :- कतिपय वनभूमि या बंजर भूमि आरक्षित वन समझी जायेगी

(1) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में जिसमें, विलीन रियासत (विधि) अधिनियम 1949 या 1950 ई० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विलीन रियासतों का (विधियों को लागू करने का) अधिनियम सम्मिलित है, या उसके अधीन जारी किये गये किसी आदेश में किसी बात के होते हुए भी, किसी विलीन रियासत की कोई वन भूमि या बंजर भूमि, जो विलयन के दिनांक (जिसे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है) के ठीक पूर्व:-



AK

किसी के सम्बन्ध में भासक के अधिकार के अधीन रखे गये और कार्यान्वित किसी प्रशासकीय या किसी कार्ययोजना या रजिस्टर के अनुसार आरक्षित भूमि के रूप में कार्यवाही की गयी (संलग्नक-6)

चूंकि दुद्धी गवर्नमेन्ट स्टेट की समस्त वन भूमि जो राजस्व विभाग के नियंत्रण में था उसे उओप्र0 के आदेश संख्या- 912/आई0सी0-32(21) सी 1949 दिनांक- 15/16 मई 1950 द्वारा पूर्ण रूप से वन विभाग के मैनेजमेन्ट हेतु हस्तान्तरित कर दिया गया ।

उक्त आदेश जारी होने के उपरान्त नगर पंचायत पिपरी , तहसील-दुद्धी, जिला-सोनभद्र के गठन संबंधी विज्ञप्ति संख्या- 790टी/33-एम-57 दिनांक- 24 मार्च 1958 को जारी किया गया । (संलग्नक-7 (i-ii)) प्रारम्भ में रिहन्द डैम बनने के दौरान कर्मचारी/ गजदूरों आदि के रहने हेतु सिर्वाई विभाग द्वारा यहाँ पर रिहायशी मकानों का निर्माण किया गया था जिराने समय के साथ टाउन का रूप ले लिया ।

उपरोक्तानुसार दुद्धी स्टेट की समस्त वन भूमि वन विभाग को वर्ष 1950 में प्राप्त होने के उपरान्त किसी भी भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-20 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी कराने हेतु धारा-4 का विज्ञप्ति जारी कराया जाना आवश्यक होता है इस हेतु विभाग द्वारा 12282 एकड़ क्षेत्रफल को भारतीय वन अधिनियम 1927 की विज्ञप्ति संख्या- 110/14-बी-779-55 दिनांक- 28.03.1966 द्वारा धारा-4 में मुर्घवा वन ब्लाक के नाम से विज्ञापन कराया गया जिसमें ग्राम-पिपरी की उक्त 3285 एकड़ भूमि सम्मिलित है । जिसमें भारतीय अधिनियम 1927 की धारा 6 की विज्ञप्ति के उपरान्त माननीय न्यायालय वन बन्दोबस्त अधिकारी सोनभद्र के न्यायालय में वन बन्दोबस्त की कार्यवाही प्रचलित है (संलग्नक -8 (i-vii))

वादी के द्वारा वाद में जंगली जानवरों के हताहत होने के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि डोंगिया जलाशय पिपरी, रिजर्व फारेस्ट के आस-पास स्थित हिरण, तेंदुआ, साही, भेंड़िया, मोर , लंगूर , बंदर तथा अन्य जंगली जानवरों का निवास स्थान है । तथा जलाशय के भीतर मगरमच्छ भी देखे गये हैं ।

दिनांक 14.04.2023 को डोंगिया नाला जलाशय के पास वन क्षेत्र में एक मृत मादा चीतल का शव पाया गया । मृत मादा चीतल के शव का पोस्टमार्टम Veterinary Officer Veterinary Hospital Pipri Sonbhadra द्वारा दिनांक- 14.04.2023 को किया गया । पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीतल की मृत्यु का कारण किसी जंगली जानवर द्वारा मारा गया पाया गया । उक्त के उपरान्त पिपरी रेंज द्वारा उसे दफना दिया गया । (संलग्नक- 9-10 (i-ii))

दिनांक 11.10.2024 को डोंगिया जलाशय के तट पर एक नर मगरमच्छ चट्टानों के बीच में मृत अवस्था में पाया गया । मृत मगरमच्छ को रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज द्वारा दिनांक- 11.10.2024 अपने कब्जे में लेते हुए पशु चिकित्साधिकारी , पिपरी-सोनभद्र , डिबुलगंज-सोनभद्र एवं म्योरपुर -सोनभद्र के टीम द्वारा पोस्टमार्टम दिनांक-11.10.2023 को किया गया । उक्त के उपरान्त पिपरी रेंज द्वारा उसे दफना दिया गया । (संलग्नक-11 (i-ii))

उपरोक्त उल्लिखित वन्य जीवों से सम्बन्धित किसी प्रकरण में नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन दिग्विजय प्रताप सिंह तथा इनके रिश्तेदार एवं E.O.(Executive Officer) द्वारा एवं किसी प्रकार की कोई क्षति पहुँचाये जाने का मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

नगर पंचायत द्वारा डोंगिया जलाशय पिपरी, वन क्षेत्र की सड़क चौड़ीकरण किये जाने का मामला प्रकाश में आने पर दिनांक 03.01.2024 को श्री ओम प्रकाश दूबे पुत्र रामबहाल दूबे, अशलम पुत्र अलीम अली/राज कुमार पुत्र स्व0 लालता प्रसाद तथा श्री विजय पटेल पुत्र स्व0 प्रधुमन पटेलके विरुद्ध



Signature

कार वैधानिक कार्यवाही करते हुए एच-2 केस संख्या 10/2023-24 दिनांक 03.01.224 इजरा गया है एवं कार्य को रोकवा दिया गया है।(संलग्नक- 12 (i-ii))

डोंगिया जलाशय के टापू पर राज्य वित्त आयोग के अनुदान से वार्ड नम्बर 2/9 डोंगिया जलाशय के टापू में फ्लोटिंग में जेट टी, साफ सफाई लोहे के एंगल जाली द्वारा वैरिकेटिंग एवं रंगीन सीमेन्टेड बेंच लगाने आदि कार्यों हेतु (रु0 9.60 लाख ) कार्यालय आदर्श नगर पंचायत पिपरी-सोनभद्र द्वारा मैनुअल विधि निविदा सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया। उक्त प्रकाशन की जानकारी विभाग के संज्ञान में आने पर पिपरी रेंज द्वारा नगर पंचायत के सक्षम अधिकारी एवं ठेकेदारों को यह बताया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र विशुद्ध रूप से रिजर्व वन भूमि है जिसमें कोई भी गैर वानिकी कार्य विना भारत सरकार के अनुमति से नहीं की जा सकती है। यदि प्रश्नगत रिजर्व वन भूमि में नगर पंचायत पिपरी-सोनभद्र एवं उनके ठेकेदारों द्वारा विना भारत सरकार/सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये किया जाता है तो नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उसके उपरानत वहाँ कोई कार्य नहीं किया गया। ( संलग्नक-13)

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2019 में सिचाई विभाग/विद्युत विभाग को हस्तान्तरित वन भूमि पिपरी में अवैध रूप से वृक्षों को काटकर अवैध सड़क निर्माण एवं लोहे की टिन लगाकर, गेट लगाकर अवैध कब्जा करने पर श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ रानू पुत्र छोटेलाल सिंह एवं श्री विजय बहादुर यादव, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पिपरी सोनभद्र, श्री दिग्विजय सिंह पुत्र भानुधन सिंह, श्री अनिल कुमार पुत्र आर0पी0सिंह के विरुद्ध एच-2 केस संख्या 19/2019-20 दिनांक 31.07.2019 एवं एफ0आई0आर संख्या 155/2019 दिनांक 01.08.2019 दर्ज कराई गई। जिसमें मुकदमा संख्या 6001/2020 मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक 01, मजिस्ट्रेट सोनभद्र के समक्ष विचाराधीन है। ( संलग्नक-14-15 (i-ix))

वर्ष 2019 में ही एक अन्य प्रकरण में सिचाई विभाग व विद्युत विभाग को हस्तान्तरित वन भूमि में नयी चारदीवारी बनाकर लोहे का गेट लगाकर अवैध अतिक्रमण करने पर अजय गुप्ता पुत्र राम किशोर गुप्ता, शिव प्रताप सिंह उर्फ रिकू सिंह पुत्र शत्रुधन सिंह के विरुद्ध एच-2 केस संख्या 30/2019-20 दिनांक 17.10.2019 तथा एफ0आई0आर संख्या 184/2019 दिनांक 18.10.2019 दर्ज कराई गई। जिसमें मुकदमा संख्या/ 2082/2022 मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र के समक्ष विचाराधीन है।

( संलग्नक-16 (i-ii)&17 (i-ix))

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में वन अपराध के संज्ञानित होने पर उनके विरुद्ध उपरोक्तानुसार स-समय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की गयी है।

  
(श्री0 भानेन्द्र सिंह )  
प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट





U.P. Gazette dated 21.8.55

No. 2091-F/XXIII-87-N-47

With reference to this department notification No. 1893-F/XXIII-87-N-47 dated May 20, 1948 issued under section 3, sub-section (1) of the Land Acquisition Act, 1894 (I of 1894) the Governor after considering the report made under section 5-A, sub-section (B) of the said Act, is pleased to declare under section 6 of the Act that she is satisfied that the land mentioned in the schedule is needed for a public purpose and, under section 7 of the Act, to direct the Collector of Mirzapur to take order for the acquisition of the said land :-

SCHEDULE

District	Pargana	Mauza	Approximate Area
Mirzapur	Dudhi	Singrauli Estate	Acres 572

For what purpose required-Land permanently reserved for construction of Pipri Dam on Rihand River in Singrauli Estate.


NOTE: A plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Mirzapur.

TRUE COPY

Sd/- Illegible 29/8/55  
Executive Engineer  
Rihand Dam Civil Division,  
P.O. Turra (Pipri) Mirzapur.

TRUE COPY

Divisional Forest Officer,  
Dudhi Forest Division  
P.O. Turra, (Mirzapur)



Handwritten signature

146

2

Copy of letter No. GND/C-1070/1948 dated January 20, 1949, from the Deputy Secretary to Government, U.P., (Revenue 'C'), Department to the Secretary Board of Revenue, U.P.

With reference to Board's endorsement No. 10701/XI-229, dated December 11, 1948, I am directed to convey the sanction of the Governor to the transfer of 3,285 acres of land in the Dudhi Government Estate, required permanently for the construction of Bhand (Pipri) Dam from the control of the Revenue Department to that of Public Works Department subject to the payment by book adjustment of Rs. 90/- per acre, to cost of the land in question, by the P.W.D.

No. 629(1)/I.C.

Copy forwarded to (1) Secretary to the Government in the Public Works Department for information.

(2) The Chief Engineer, P.W.D. (I.S.) for information and necessary action with reference to his letter No. 10326/DW/1578-15W, dated 8, 1948.

By order,  
V.P. Shukla  
Deputy Secretary.

Finance Department.

No. 629(12)/I.C.

Copy forwarded to the Accountant General, U.P. for information.

By order,  
B.G. Ban,  
Joint Secretary.

TRUE COPY

Sd/- Illegible 20/10/49  
Executive Engineer,  
Bhand Dam Civil Division,  
P.O. TARRA (Pipri) Mirzapur.



TRUE COPY

*Illegible signature*

Divisional Forest Officer,  
Dudhi Forest Division  
P.O. TARRA, (Mirzapur)

24/10

Copy of G.O. No. 5588/IV. 237/1967, dated August 24, 1967  
From Sri V.S.C. Bhanerjee, Asstt. Secretary, U.P. to C.C.F., U.P.

Sub :- Permanent transfer of 2470 acres of forest land in  
district Mirzapur to the Irrigation Department for  
Rihand Reservoir.

With reference to the correspondence vesting with your  
letter No. 201/11-11(VIC) dated July 10, 1967, on the above  
subject, I am directed to convey the sanction of the Government  
to the transfer permanently to the Irrigation Department of the  
Forest Land measuring 2470 acres in district Mirzapur for  
construction of Rihand Reservoir on payment by bank transfer  
of Rs. 57050/- Rupees thirty seven thousand and fifty only  
subject to the condition that the land will remain a part  
of the Reserved Forests.

2. The amount so realised from the Irrigation Department  
should be credited to the head 'X-Forests-C-Miscellaneous'.

No. 5588(1)/IV.

Copy forwarded for information to the :-

1. Chief Engineer, Irrigation Department, U.P.
2. Power (A) Department of the Secretariat.
3. Conservator of Forests, Southern Circle, U.P.
4. Divisional Forest Officer, Dudhi District, Mirzapur.

By order,  
Sd/- V.S.C. Bhanerjee  
Assistant Secretary.

No. 5588(11)/IV.

Copy forwarded for information to the Accountant  
General, Uttar Pradesh, Allahabad.

TRUE COPY

Sd/- Illegible 29/10/68  
Executive Engineer,  
Rihand Dam Civil Division,  
P.O. TUNGA (Pipri) Mirzapur.

TRUE COPY

Divisional Forest Officer,  
Dudhi Forest Division  
P.O. Tunga (Mirzapur)  
2416



Handwritten initials in blue ink.

148

सं. 4(I)

Annexure C1

GOVERNMENT ORDER TRANSFERRING THE DUDHI GOVERNMENT  
STATE FORESTS TO THE CONTROL OF THE U.P. FOREST DEPARTMENT

No. 912/IG-32(21) G. 1949,

From,

Sri V. P. Shukla, B. A., L. L. B.,  
Deputy Secretary to Government  
Uttar Pradesh.

To,

The Secretary,  
Board of Revenue, U. P.,  
Lucknow.

Dated, Lucknow, May 15-16-1950.

Sub. :- Transfer of the Dudhi Government Estate Forests to the Control of  
the Forest Department  
Revenue "C" DEPARTMENT.

Sir,

With reference to Board's Letter No. 12431/XI-7130 dated January 9,  
1950, I am directed to convey the sanction of the Governor to the Transfer,  
with effect from April 1, 1950, from the control of the Revenue Department  
to that of the Forest Department, of the administration of the Dudhi  
Government Estate Forests including Katat forest on the conditions laid  
down in the annexure here to.



CSL

Yours faithfully,  
Sd/- V. P. SHUKLA  
Under Secretary.

Conditions of transfer of the Dudhi Forests to the control of the Forest Department.

1. The administration of the Dudhi Forest shall be completely under the control of the Forest Department.
2. The existing forest staff will be merged in the cadre of the corresponding services in the forest Department.
3. All sales, exploitations and contracts will be made under the direction of the officers of the Forest Department.
4. All matters relating to the management of Dudhi Forest will be dealt with on the same lines as in other forests divisions of Uttar Pradesh.
5. The finances of the Dudhi Forests will be entirely the concern of the Forest Department.
6. Roads running through the Dudhi Forests will be maintained by the Forest Department.
7. Such Forest produce as might be required by the Dudhi Government Estate for Original works as well as for repairs will be allowed free of cost.
8. Such land as may be required by the Estate for construction or development works will be re-transferred to the Revenue Deptt. without any compensation.
9. Officer of the Revenue Department, working in Dudhi Government Estate shall be given the same facilities for staying in Forest rest houses as are allowed to them at present.
10. The concessions which the tenants of Dudhi Government Estate at present enjoy in the Dudhi Forests shall be included in the working plan and no variations in them shall be made without the previous consent of the Board of Revenue, Uttar Pradesh.

FOREST DEPARTMENT No. 912/(i)/IC-32(21) C-49

Copy forwarded to the Chief Conservator of Forests, U. P. for information with reference to his letter No. 1817/Camp 12-16 (A) dated March 11, 1950 with the remark that the Dudhi Government Estate forests will henceforth be under the administrative control of the Conservator of Forests, Eastern Circle. A draft amendment to article 4 E Forest Manual may be submitted to Government for approval.

- 2 Orders regarding budget provision for the management of these forests will issue shortly.

By order,  
sd/-R. S. Mehra

FIANCE DEPARTMENT No. 912(2)/IC-32(21)C-29 under secretary.  
Copy forwarded to the Accountant General U. P. for information.

By order  
(K. S. Goyal)  
Under Secretary

TRUE COPY



*[Handwritten signature]*

150

WORKING PLAN

For the  
Dudhi Government Estate Forest Division

For  
1949-50 to 1963-64.

Compiled in the Working Plans Branch

BY

SHAUKAT HUSAIN, U. P. F. S.,

Deputy Conservator of Forests,

Uttar Pradesh

PART I & II



*Chid*

## APPENDIX IV.

Joint Settlement Enquiry Report on the Dudhi Government Estate Forests, conducted by Mr. M. Shaukat Husain, Special Forest Officer, Mirzapur and Pt. Rajpat Tripathi, Naib Tehsildar

## Introduction.

1. On the basis of a report by Mr. Davis who inspected Dudhi Estate Forests as Conservator of Forests, Workimg Plans Circle, during January and February 1941, the Government issued the following order vide G. O. No. 369/1941, dated December 18, 1943.

"With reference to your letter No. 2055/XI-661B, dated June 19, 1942, I am directed to say that subject to the orders contained in the succeeding paras, the Governor has been pleased to approve of the proposal to transfer from the control of the Revenue Department to that of the Forests Department, the administration and the finances of the protected forest of the Dudhi Government Estate and also of such areas of Kataf forests in that Estate as may after the necessary inquiries be notified as protected forests. The Governor also agrees with the Board that the primary object of the management of these forests should be declared as the satisfaction of the legitimate requirements of the inhabitants of the Estate in respect of forest produce and grazing and that the exploitation of the forest resources for the purpose of obtaining the maximum revenue shall be only a secondary consideration. Matters concerning the tenants of the estate, their concessions in the forest and the general welfare of the estate, will continue to remain subject to the ultimate control of the Revenue authorities, and such safeguards as may be necessary to bring this into effect shall be provided for in the detailed rules for the working of the forest administration.

2. The Board have suggested that if the Forest Department take over the Dudhi Estate forests, the latter should be notified as



Bin

soil they cannot retain water for long. Consequently during summer, in some places the inhabitants have to depend for their supplies on pools dug in the dry, sandy beds of the streams that otherwise go dry. Due to shortage of water many cattle belonging to the Estate tenants are taken out into the neighbouring (Sarguja) State and brought back to Dudhi Estate sometime after the break of rains.

17. Distribution of area - The protected forests or *rakhat*, as they are called locally, were heretofore divided into A, B and C classes covering the following areas :-

Class	Acres
A	1,00,982
B	91,101
C	25,062

Class A forests were those declared as fully reserved during the settlement operations of 1871-1876 and generally consisted of all the larger blocks of forests. Class B forests were declared as reserved in 1907 while class C protected forests were declared as such in 1919. These class B and C forests were generally in comparatively small blocks, sometimes contiguous with the larger class A blocks, and sometimes isolated therefrom. In 1927, class A and B forests ceased to be fully reserved and along with the more recently protected class C forests were re-notified as protected forests. In 1932, 3 new blocks were further notified as protected forests and included in class B. All forests of classes A, B and



*Qid*

APPENDIX 'B'  
(Of Joint Settlement Enquiry Report)  
List of Blocks

Name of forest	Tehsil	Tappa	Approximate area in acres	Commercial or Village	Brief description of the block boundaries
1	2	3	4	5	6
Ghagra	Dudhi	Barha	482	Commercial	North- Cut and cleared boundary line. West- " " South- Marghatia nala. East- Cut and cleared boundary line and a nala.
Burwen	"	"	390	"	North- Cut and cleared boundary line. West- " " South- " " East- " "
Bahhani	"	"	3,462	"	North- Cut and cleared boundary line of this block and boundary lines of Duba and Cheri Commercial blocks.



*am*

No. of	Tehsil	Tappa	Approximate area in acres	Commercial or Village	Brief description of the block boundaries
1	2	3	4	5	6
Baleri	Dudhi	Barha	80	Village	North-East- A nala. West- Muirpur-Rantola road. South- Cut and cleared Boundary line. East- Boundary line between this block and Bagalnar Commercial forest.
Ajangira	"	"	696	"	North- Cut and cleared boundary line. West- " South- " East- "
Murdhawa	"	Dudhi	12,282	Commercial	North- Boundary line of Singrauli Estate. West- Rihand river, cut and cleared boundary line between this block and Nihaipathar Village forest. South- Dongia nar and cut and cleared boundary line. East- Cut and cleared boundary line between this block and Hathinala Commercial forest.



*Signature*

of est	Tehsil	Tappa	Approximate area in acres	Commer- cial or village	Brief description of the block boundaries
1	2	3	4	5	6
Bagain	Dudhi	Gonda Bajia Dudhi Bar- ha	335 } 2,393 } 3,570 }	Commer- cial	North- Cut and cleared bound- ary line and boundary line between this block and Kataundhi Com- mercial forest.  West- Cut and cleared bound- ary line and boundary line between this block and Baleri village for- est.  South- Cut and cleared bound- ary line.  East- Cut and cleared bound- ary line and boundary line between this block and Jharo village forest.



an

भारतीय वन अधिनियम, 1927

2.10

"20-क. कतिपय वन भूमि या बंजर भूमि आरक्षित वन समझी जायेगी.—(1) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में जिसमें, विलीन रियासत (विधि) अधिनियम 1949 या 1950 ई० का उत्तर प्रदेश विलीन रियासतों का (विधियों को लागू करने का) अधिनियम सम्मिलित है, या उसके अधीन जारी किये गये किसी आदेश में किसी बात के होते हुए भी, किसी विलीन रियासत की कोई वन भूमि या बंजर भूमि, जो विलयन के दिनांक (जिसे इस धारा में आगे उक्त दिनांक कहा गया है) के ठीक पूर्व—

- (क) उक्त राज्य में प्रवृत्त किसी भी विधायन के अधीन आरक्षित वन समझी जाती थी; या
- (ख) उक्त राज्य के शासक द्वारा तत्समय, प्रवृत्त किसी विधि (जिसमें कोई विधायन, नियम, विनियम, आदेश, विज्ञप्ति, रूढ़ि, या प्रथा, जो विधि के समान प्रभावी हो, सम्मिलित है) के अधीन आरक्षित वन के रूप में मानी जाती थी या घोषित की गयी थी; या
- (ग) जिसके सम्बन्ध में शासक के अधिकार के अधीन रखे गये और कार्यान्वित किसी प्रशासकीय प्रतिवेदन में या किसी कार्ययोजना या रजिस्टर के अनुसार आरक्षित भूमि के रूप में कार्यवाही की गयी थी,


तो वह उक्त दिनांक से ठीक पूर्व यदि कोई अधिकार या रियासतें किसी व्यक्ति के पक्ष में प्रवृत्त हो उनके रहते हुए आरक्षित वन समझी जायेगी और उक्त दिनांक से बराबर बनी रही समझी जायेगी।

**स्पष्टीकरण 1**—राज्य सरकार अथवा तदर्थ प्राधिकृत किसी भी अधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि कोई प्रतिवेदन, कार्य योजना अथवा रजिस्टर शासक के अधिकार से रखा गया था और उस पर कार्यवाही की गयी थी, इस बात का निश्चयक साक्ष्य होगा कि उसे इस प्रकार रखा गया था और उस पर कार्यवाही की गयी थी।

**स्पष्टीकरण 2**—इस उपधारा में उल्लिखित किसी अधिकार अथवा रियासत के विद्यमान होने अथवा उसके प्रकार अथवा सीमा के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठने पर उसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा ऐसी जाँच के उपरन्त, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे होगा, जो अन्तिम होगा।

**स्पष्टीकरण 3**—'कार्य योजना' के अन्तर्गत कोई नक्शा, योजना, परियोजना, मानचित्र, श्रेण्यचित्र तथा अभिन्यास सम्मिलित है जो वन सम्बन्धी कार्य और प्रबन्ध करने के दौरान कार्य-संचालन के लिये तैयार किये गये हों।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित किसी भूमि में या उस पर, उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् उत्तराधिकार होस अथवा राज्य सरकार द्वारा या किसी ऐसी व्यक्ति या उसकी ओर से, जिसमें उक्त दिनांक के ठीक पूर्व ऐसा करने का अधिकार निहित था, किसी लिखित अनुदान या शर्तिका के अधीन अर्जित होने के सिवाय कोई भी अधिकार अर्जित हुआ नहीं समझा जायेगा और यदि किसी अन्य प्रयोजन के लिए उस समय से किया गया कोई भी नया वनोन्मूलन (शासक द्वारा शर्तिका और उक्त दिनांक के ठीक पूर्व प्रवृत्त रियासतों के अनुसार या उक्त दिनांक से राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार किये गये वनोन्मूलन को छोड़कर) वैध नहीं माना जायेगा और न वैध समझा जायेगा, चाहे, इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई भी बात क्यों न हो।



AN



... (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) ... (6) ... (7) ... (8) ... (9) ... (10) ...

... (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) ... (6) ... (7) ... (8) ... (9) ... (10) ...

... (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) ... (6) ... (7) ... (8) ... (9) ... (10) ...

दृष्ट

... (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) ... (6) ... (7) ... (8) ... (9) ... (10) ...

... (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) ... (6) ... (7) ... (8) ... (9) ... (10) ...

110 या० डिप्टी कमिश्नर, आगरा, तत्कालीन गाँव।

**पण्ड-स-डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटीफाइड और टाउन एरिया**

23 मार्च, 1954 ई०

... (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) ... (6) ... (7) ... (8) ... (9) ... (10) ...

24 मार्च, 1954 ई०

... (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) ... (6) ... (7) ... (8) ... (9) ... (10) ...

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...
- (5) ...
- (6) ...
- (7) ...
- (8) ...
- (9) ...
- (10) ...

... (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) ... (6) ... (7) ... (8) ... (9) ... (10) ...

- 1-विद्यमान इन्जीनियर प्रथम, नार्दन रैजिडे ...
- 2-विद्यमान मेडिकल अधिकारी, मुरादाबाद ...
- 3-प्रसिद्ध इन्जीनियर, मुरादाबाद ...
- 4-विशाल कार्य के इंजिनियर, मुरादाबाद ...
- 5-गैंगान बाटलर, मुरादाबाद ...
- 6-सीमा फोरमैन, मुरादाबाद ...
- 7-वेदांगी, इन्जिनियरिंग बोर्ड, मुरादाबाद ...

... (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) ... (6) ... (7) ... (8) ... (9) ... (10) ...

अनुसूची

विवरो (रिजिस्ट्रार बांध, यरसी) निजापुर की गोमा :-  
उत्तर-उत्तर में विद्यमान होने वाले उक्त स्थान तक सड़क-कंधारों नामा से मिलती हैं, उत्तर-पश्चिम पल्ले हुए उक्त स्थान तक जहाँ यह चिटावनी नामा से उक्त स्थान तक नहीं तक रिजिस्ट्रार मरी से उल्लेख रामें किनारे पर मिलती हैं और बायें बायें किनारे पर तपस्वीग वर उक्त रेखा में मिलती हैं, जो कि गांधी तपस्वी के गांधी टोला की सड़क के किनारे से होते हुए रिजिस्ट्रार कम्प्लेक्स बरेंटी के स्थान पर गांधी मस्जिद के मईया टोला तक जाती हैं।

पूर्व में सिविली वर पट्टावा से होकर दक्षिण की ओर चलने वाले हुए रस्ते पहाड़ तक और मर्गों ठीक उक्त-स्थान तक सड़क गोमा पहाड़ से मिलती हैं।



*Handwritten signature*





नदिमा	बुद्धी	बरहा	संख्या	विवरण
			४५५५.७८	उत्तर—रिहम बलिमाता । पूर्व—कटी एवं सापीमा लाइन तथा शोर कुण्डा ब्रीहामपहरी एवं कीरव मध्य को सीमा । दक्षिण—लेरा मदी रिहम झील । पश्चिम—कटी एवं स सीमा लाइन सीत ।
भजोड	"	"	४४९.६७	उत्तर—भगीर नदी । साफ कटी लाइन । पूर्व—कटी एवं स सीमा लाइन । दक्षिण—एक नाला एवं कटी तथा साफ सीमा पश्चिम—तिगरीली बना की कटी एवं सा लाइन ।
खेरा डोह	"	"	११.९४	उत्तर—कटी एवं सापीमा लाइन । पूर्व—कटी एवं सापीमा लाइन । दक्षिण—कटी एवं स सीमा लाइन पश्चिम—कटी एवं स सीमा
कुन्डाडोह	"	"	१०२.७१	उत्तर—कटी एवं सापी- पूर्व—कटी एवं स दक्षिण—कटी एवं स पश्चिम—इस ब्लक सीमा लाइन ।
रात पहरी	"	"	६८.६३	उत्तर—कटी एवं स पूर्व—एक दक्षिण—एक पश्चिम—इस ब्लक त सीमा लाइन ।
	"	"	३३.२२	उत्तर—एक नाला । पूर्व—इस ब्लक लाइन तथा दक्षिण—कटी एवं पश्चिम—मंवरपुर
आजमगौरा	"	"	२८५.४७ २५.४७	उत्तर—कटी एवं सा पूर्व—कटी एवं दक्षिण—कटी एवं पश्चिम—कटी एवं
मुरवना	"	बुद्धी	४३९८.७८	उत्तर—दिगरीली । पूर्व—इस ब्लक लाइन । दक्षिण—रिहम सीमा लाइन । पश्चिम—रिहम वन के मध्य को स लाइन ।
हाथी नाला	"	"	६९७२.३६	उत्तर—अगोरी प पूर्व—बुद्धी-चोप दक्षिण—इस ब्लक मध्य को स लाइन । पश्चिम—सिरोली सीमा ला
नवाटोना	"	बरहा	३१.४८	उत्तर—कटी एवं स पूर्व—कटी एवं स दक्षिण—महमर नदी पश्चिम—महमर नदी व सापीमा ला

See Gazette dt. 27-11-1976 Page 2823



Handwritten signature or initials at the bottom center.

मि. वि. वि. वि.

संलग्न

संलग्न

संलग्न

संलग्न

"संलग्न"

संलग्न

"संलग्न"

११.१३ उत्तर--कटी एवं साफ सीमा लाइन।  
पूर्व-- " "  
दक्षिण-- " "  
पश्चिम-- " "

१११.०० उत्तर--इस ब्लॉक तथा घेरी वन के मध्य की कटी  
साफ सीमा लाइन।  
पूर्व--कटी एवं साफ सीमा लाइन।  
दक्षिण-- " "  
पश्चिम--इस ब्लॉक पूर्व हुआवन के मध्य की  
एवं साफ सीमा लाइन।

८७.४१ उत्तर--कटी एवं साफ सीमा लाइन।  
पूर्व-- " "  
दक्षिण--शिवटोली परभना की कटी एवं साफ  
सीमा लाइन।  
पश्चिम-- " "

१११.८५ उत्तर--निचची नदी की एक शाखा।  
पूर्व--कटी एवं साफ सीमा लाइन तथा एव  
दक्षिण--कटी एवं साफ सीमा लाइन।  
पश्चिम-- " "

११८.२४ उत्तर--इस ब्लॉक एवं कीरवानी वन के मध्य  
लाइन।  
पूर्व--कटी एवं साफ सीमा लाइन।  
दक्षिण--कटी एवं साफ सीमा लाइन तथा  
वन की सीमा लाइन।  
पश्चिम--एक नाला तथा कटी साफ लाइन।

११२३.६३ उत्तर--शगोरी परभना की कटी एवं साफ सीमा  
बीरीहवा नार तथा कटी एवं साफ सीमा लाइन।  
पूर्व--कनहर नदी तथा कटी एवं साफ सीमा लाइन।  
दक्षिण--कटी एवं साफ सीमा लाइन, इस ब्लॉक  
मण्डरवा रणखड़ व हाथी नाला वनों के  
की सीमा लाइन तथा लोवा नदी।  
उत्तर-पश्चिम--बुढी-चोपन सड़क।  
दक्षिण-पश्चिम--

१११.२६ उत्तर--इस ब्लॉक तथा हाथीनाला वन के मध्य  
सीमा लाइन।  
पूर्व--इस ब्लॉक तथा हाथीनाला वन के मध्य की सीमा  
लाइन व साफ कटी लाइन।  
दक्षिण-- " "  
पश्चिम--पिपरी-चोपन पनकी सड़क।

१२५.४४ उत्तर--कटी एवं साफ सीमा लाइन तथा इस ब्लॉक  
एवं मण्डरवा वन के मध्य की सीमा लाइन।  
पूर्व--कटी एवं साफ सीमा लाइन।  
दक्षिण--इस ब्लॉक तथा कयोन्दी वन के मध्य की  
कटी एवं साफ सीमा लाइन।  
पश्चिम--कटी एवं साफ सीमा लाइन तथा इस ब्लॉक  
और मण्डरवा वन के मध्य की सीमा लाइन।



Handwritten signature or initials.

क्र.सं.	नाम	क्र.सं.	विवरण
१	जिहायजावा	११३.७९	उत्तर—सोनीया नार। पूर्व—सोनीया नार। दक्षिण—इस ब्लॉक एवं मुरधवा वन के मध्य की सीमा लाइन। पश्चिम—रिहवा नदी।
२	जोनादी	१४.७५	उत्तर—कटी एवं साफ सीमा लाइन। पूर्व—रिहवा नार। दक्षिण—हनुवालकी की सीमा। पश्चिम—इस ब्लॉक और मुरधवा वन के मध्य की सीमा लाइन।
३	भंडौली	९८७.३३	उत्तर—कटी एवं साफ सीमा लाइन। पूर्व—इस ब्लॉक तथा बहेराडोल वन के मध्य की सीमा लाइन। दक्षिण—कटी एवं साफ सीमा लाइन। उत्तर-पश्चिम—इस ब्लॉक और हाथीनाला बहेराडोल वनों के मध्य की सीमा ला
४	झारी	४०५.१७	उत्तर—लीवा नदी एवं कटी तथा साफ सीमा ला पूर्व—कटी एवं साफ सीमा लाइन। दक्षिण—ठेमा नदी की एक शाखा। पश्चिम—कटी एवं साफ सीमा लाइन।
५	कुगवार	११.९४	उत्तर—कटी एवं साफ सीमा लाइन। पूर्व— दक्षिण— पश्चिम—
६	मुगलाइरिफ	१०५.५४	उत्तर—कटी एवं साफ सीमा लाइन। पूर्व—ठेमा नदी। दक्षिण—कटी एवं साफ सीमा लाइन। पश्चिम—
७	करी	१३३.८०	उत्तर—कटी एवं साफ सीमा लाइन। दक्षिण-पूर्व—ठेमा नदी। दक्षिण-पश्चिम—ठेमा नदी की एक शाखा। उत्तर-पश्चिम—कटी एवं साफ सीमा लाइन।
८	जीवरिहवा (शलापियर)	५०.१८	उत्तर—अगोरी परपना की कटी एवं साफ सीमा ला उत्तर-पूर्व—कटी एवं साफ सीमा लाइन। दक्षिण—बोरोहवा नाला तथा कटी एवं साफ सीमा लाइन। पश्चिम—कटी एवं साफ सीमा लाइन।
९	कुमा	१३६.६२	दक्षिण—पूर्व—कनी सर्वा नार की एक शाखा। दक्षिण—कटी और साफ सीमा लाइन। उत्तर—पश्चिम—सनुआ नार।
१०	गडरवा	१२३.६७	उत्तर—बहेराडोल वन और इस ब्लॉक की सीमा लाइन। पूर्व— दक्षिण—
११	रुखरुख	१७४.६४	पश्चिम—कटी और साफ सीमा लाइन। उत्तर—बहेराडोल वन और इस ब्लॉक के मध्य की सीमा लाइन। पूर्व— दक्षिण—कटी और साफ सीमा लाइन। पश्चिम—बहेराडोल वन और इस ब्लॉक की सीमा लाइन।



*(Handwritten signature)*





उदो पोसवा ५९६'००

उत्तर-कटी व साफ सीमा लाइन ।  
पूर्व-कटी व साफ सीमा लाइन और इस ब्लॉक के मध्य की सीमा लाइन ।  
दक्षिण-कटी व साफ सीमा लाइन ।  
पश्चिम-कटी व साफ सीमा लाइन ।

२४७'३३

उत्तर-कटी व साफ सीमा लाइन ।  
पूर्व-पालामुम जिंटे की कटी व साफ सीमा लाइन ।  
दक्षिण-कटी व साफ सीमा लाइन ।  
पश्चिम-कटी व साफ सीमा लाइन और नाम वाली वन और इस ब्लॉक के मध्य की सीमा लाइन ।

२०७'२०

उत्तर-कटी व साफ सीमा लाइन ।  
पूर्व- " " " "  
दक्षिण- " " " "  
पश्चिम- " " " "

२४०४'५९

उत्तर-कटी व साफ सीमा लाइन ।  
पूर्व- " " " "  
दक्षिण-सरगुजा (म० प्र०) की कटी साफ सीमा लाइन ।  
पश्चिम-कटी व साफ सीमा लाइन ।

३२०६'५८

उत्तर-कटी व साफ सीमा लाइन ।  
पूर्व-गांव और इस ब्लॉक के मध्य की कटी और साफ सीमा लाइन ।  
दक्षिण-सरगुजा की सीमा और परके भूहे के साथ कटी व साफ सीमा लाइन ।

१११७'५४

पश्चिम-सीस टोला ब्लॉक और स... की सीमा लाइन ।  
उत्तर-कटी और साफ सीमा लाइन ।

६९६'०५

पूर्व- " " " " " "  
दक्षिण-कटी व साफ सीमा लाइन और एक ताला ।  
पश्चिम- " " " " " "

५४९'९८

उत्तर-कटी और साफ सीमा लाइन ।  
पूर्व- " " " " " "  
दक्षिण- " " " " " "

६०८'००

पश्चिम- " " " " " "  
उत्तर-कटी और साफ सीमा लाइन ।  
पूर्व- " " " " " "

६९०'८७

दक्षिण-कटी और साफ सीमा लाइन ।  
पश्चिम- " " " " " "  
उत्तर-कटी और साफ सीमा लाइन ।

२७६६'२५

पूर्व- " " " " " "  
दक्षिण-कटी और साफ सीमा लाइन ।  
पश्चिम- " " " " " "  
उत्तर-कटी और साफ सीमा लाइन ।

योग ६४,०१८.३८ हेक्टर

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Government of Uttar Pradesh is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 110/XIV-B-779-55, dated March 28, 1966 :

No. 110/XIV-B-779-55  
March 28, 1966

Whereas it has been decided by the State Government to constitute the land mentioned in the schedule below as a reserved forest :



Handwritten signature or initials.

पुस्तक सं.

084

संख्या - 09

वन विभाग - मिजापुर वृत्त, रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट, जनपद - सोनमढ

वर्ष 1992  
भास्ती वन अधिनियम की धारा - 3/51  
जिसके अन्तर्गत अपराध भंजीकृत  
किया गया

पुस्तक सं.

01/2023-2A

दिनांक - 14/04/2023

प्रशासीय H-1 का क्रमांक

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान - शून्च अग्रवाल

2. चाकी का नाम - श्री (बुद्धी) विष्णु (अग्रवाल)

3. कथित अपराध का पूरा विवरण और -  
दिनांक - 14/04/2023  
श्री शून्च अग्रवाल के पास वन क्षेत्र में एक मृग  
मदि पीतल का शव पया गया

4. मूल्य

5. चान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) -  
के सम्बन्ध में विरोध कथन

श्री शून्च अग्रवाल के पास  
एक आदिम जात मृग शव  
पिया के माध्यम से प्रस्तुत है।  
प्रशासीय अधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट  
सोनमढ, उत्तर प्रदेश

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण -  
आदि का उल्लेख  
विदित है कि आज दि- 14/04/2023 को समय लगभग  
11:00 am में उपरोक्त चान के साथ श्री शून्च अग्रवाल वन क्षेत्र का गश्त  
कर रहा था। उसके दौरान उसे वन में एक मृग मदि पीतल का शव पया गया जिसका  
आधा पीतल भाग किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अयो हुआ प्रतीत हो रहा है। पीतल की गर्दन पर  
अज्ञात व्यक्ति के स्पष्ट दाँत के निशान दिखाई पड़े रहे हैं। जोकि यह मृग मदि पीतल का शव के  
अपनी अभिप्राय में लेकर फटे बरामदायी वन में भंडारित किया गया।  
3/51 के तहत वैधानिक कार्यवाही करे हुए मृग मदि पीतल का शव विद्वान की कार्यवाही की जा  
रही है।

अतः अधिकारी की सेवा में प्रथम मुसयार रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3/51  
3/51  
3/51  
15-04-2023

22-8-24

भारतीय  
रेनुकूट  
(जीन सिंह)  
वन संरक्षक  
रेनुकूट वन  
दि- 14/04/2023



POST MORTEM REPORT

- 1. Name & Address of owner... Range forest officer, Pipri, Pipri, Sonbhadra  
Renukoot forest division - Sonbhadra, U.P.
- 2. Animal Chital... Sex Female... Age about 10 years... Breed —
- Colour Description... golden-yellow with white spots... Tag no. N.A.
- 3. Date & Time of Death (approx) 12.04.2023, around 6 or 7 PM.
- 4. Date & Time of P.M. 14/04/2023, 11:30 AM.
- 5. History of previous disease... N.A.
- 6. General Condition of Animal... Carcass maggotted, half eaten, partially putrefied.
- 7. Condition of Rigor Mortis... relaxed out.
- 8. Eye, Ear & Nose... Eye balls bulged out, shrunk & maggot infested.
- 9. Mouth & Tongue... infested with maggots & flies.
- 10. Skin hide... putrefied with hairs loosening out.
- 11. Discharge from natural Orifices... Non-significant.
- 12. Lymph Nodes... Not available, and putrefied.
- 13. Condition of Thoracic Cavity... No vital organs present.
- 14. Diaphragm & Pleura... Not seen, eaten by wild animals.
- 15. Lungs... Not present.
- 16. Heart & Pericardial Sac... Not present.
- 17. Condition of Abdominal Cavity... Ruminant content dispersed, no organs seen.
- 18. Rumens... Not present.
- 19. Reticulum, Omasum & Abomasum... Not present.



Handwritten signature or initials.

Handwritten text, possibly a date or reference number.

- 1. Large Intestine..... Not present
- 2. Small Intestine..... Not present
- 3. Liver..... Not present
- 4. Gall Bladder..... Not present
- 5. Spleen..... Not present
- 6. Kidney..... Not present
- 7. Condition of Genital Organs..... Not present
- 8. Condition of Urinary system..... Not present
- 9. Brain..... autolyzed
- 10. Any other Remark Dorsal side of neck have teeth marks of some wild animal. (again infested with maggots).
- 11. Opinion about Death. Based on circumstances and available carcass parts it seems a wild kill.


Date: 14/04/2023.

*Moin*  
 Veterinary Officer 3  
 14/04/2023

Veterinary Offices  
 Veterinary Hospital  
 Pipari, Sonbhadra



*Qin*





POST MORTEM REPORT

- 1. Name & Address of owner... Divisional Forest Officer, Purnapur Forest Division, Sambhal, U.P.
- 2. Animal... Mugos Cervina Sex Male Age Senile Breed N.A.
- 3. Colour Description... Dark olive to grey Tag no. N.A.
- 4. Date & Time of Death... Cerebral Aneurysm more than 72 hours old.
- 5. Date & Time of P.M. 11.10.2023, 08:00 am.
- 6. History of previous disease... N.A.
- 7. General Condition of Animal... Putrified extremities, autolysed body organs, immersed dorsal skin intact, submerged ventral surface was slimy with adipocere formation. Insect out, liver not at ventral aspects present.
- 8. Condition of Rigor Mortis... Intact, but not at ventral aspects present.
- 9. Eye, Ear & Nose... External were disintegrated possibly due to hooks on shore & current of waves of water.
- 10. Mouth & Tongue... Sub-fact & disintegrated.
- 11. Skin/hide last neck... Subcutaneous abrasions on last 5<sup>th</sup> to 9<sup>th</sup> vertebrae. NO signs of external injuries.
- 12. Discharge from natural Orifices... Sub-fact & disintegrated. No discharge. No signs of disease. Whose wall were swelled after putrefaction.
- 13. Lymph Nodes... Putrified.
- 14. Condition of Thoracic Cavity... Autolysed.
- 15. Diaphragm & Pleura... Autolysed.
- 16. Lungs... Autolysed.
- 17. Heart & Pericardial Sac... Autolysed.
- 18. Condition of Abdominal Cavity... Putrified & autolysed.
- 19. Rumen... N.A.
- 20. Reticulum, Omasum & Abomasum... N.A.



*Handwritten signature*

- Large Intestine..... mostly auto lysed.
- Small Intestine..... most of the part auto lysed.
- 22. Liver..... auto lysed.
- 23. Gall Bladder.....
- 24. Spleen.....
- 25. Kidney..... auto lysed.
- 26. Condition of Genital Organs..... Phallos, protruded out of cloaca, partially auto lysed.
- 27. Condition of Urinary system..... Auto lysed.
- 28. Brain..... Auto lysed & disintegrated.
- 29. Any other Remark..... Vital organs were auto lysed. Extremities deformed due to excessive water content & source of the site of finding of carcass.
- 30. Opinion about Death..... In our opinion cause of death could not be ascertained due to auto lysis of vital organs.

Date: 11<sup>th</sup> Oct 2023.

Veterinary Officer

*[Signature]*  
 11/10/2023  
 Veterinary Officer  
 Veterinary Hospital  
 Pipli, Sambhars

*[Signature]*  
 11/10/2023  
 पशु चिकित्सकीय अधिकारी  
 विष्णुगंज, संबलपुर

*[Signature]*  
 11/10/2023  
 पशु चिकित्सकीय अधिकारी  
 संबलपुर-संबलपुर



*[Handwritten initials]*

शेज लेस सं 024

10/2023-24 पिपरी शेज/

साल-15-1211

11

वन विभाग - भिजापुर वृत्त, रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट, जनपद - सोनभद्र

भारतीय वन अधिनियम की धारा 5/26 (घटा संशोधित 2000) के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया

शेज लेस सं 10/2023-24 विभांक 03/01/2024 लख पिपरी

D.C.No. 100/10/2023-24

प्रकरण N-1 का प्रमाण

- 1. नाम, पता का नाम और निवास स्थान
  - 1) ओमप्रकाश दूबे अ/0 रामवहाल दूबे उम्र लगभग 40 वर्ष
  - 2) अरालम अ/0 अलीम अली उम्र लगभग 38 वर्ष
  - 3) राजकुमार अ/0 स्व. ललिता प्रसाद उम्र लगभग 55 वर्ष
  - 4) विजय पटेल अ/0 स्व. प्रद्युम्न पटेल उम्र लगभग 50 वर्ष
- 2. लाली का नाम स्वयं तथा पत्नी का नाम (डाकिया)

3. उचित अपराध का पृथक विवरण और सिंचाई विभाग/वन विद्युत विभाग को हस्तक्षेपित वन भूमि पर (दोषिया, अलासय वन क्षेत्र) बिना एन० ओ० सी० के तबड़ पंचायत पिपरी तथा उपरोक्त अभियुक्तों के द्वारा भूमि को से अवेध नई पक्की सबके का निर्माण व परिवारण कार्य करना।

4. मृत्यु

5. कानून और अनुबंधन (इन्वेस्टिगेशन) के तथ्य में विरोध कथन

जांच जारी है।

शेज लेस सं 10/2023-24  
 डी. सी. नं० 100/10/2023-24  
 03/01/2024

6. प्रचुचना (रिपोर्ट) के खारे और प्रमाण मतोदय। निवेदन के साथ अकान्त करना है कि आज दिनांक-03/01/2024 को जब हमसेवा को समय लगभग 10:30 am पर अपने हमराही के साथ हस्तक्षेपित वन भूमि का गम कर रहा था तो देखा कि उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा दोषिया अलासय वन क्षेत्र के भूदक को अभाव भूमि द्वारा दोनो विजरो से सिटी का खुदान करकर छिटी भराने का कार्य तथा नई पक्की सबके का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। मेरे द्वारा उक्त अवध कार्य को रूक करवाया गया तथा भारतीय वन अधिनियम की सुवधात धारा में वैधानिक कार्रवाही करते हुए H<sub>2</sub> केस खारा किया अतः शीमात जी की सेवा में प्रथम सुचना र्व रिपोर्ट प्रेषित।

भववीय  
 (ओम सिंह)  
 व-र-  
 रेनुकूट वीट  
 दिनांक - 03/01/24



Handwritten signature or mark at the bottom center of the page.

सिखा में  
... श्रीमान प्रभाकर प्रसाद  
रेणुका वन प्रभाग रेणुका  
सोनभद्र की सूचना के लिए सम्बन्धित  
अधिकारी हेतु धारित

श्री- द्रोटे लाल वं दंड  
को केसकी (आतिम जीच  
रिपोर्ट सम सप्ताह के अन्दर  
जीच नट प्रस्तुत करें।

*[Signature]*  
देशीय वनाधिकारी  
शिवा, ले  
उत्तर वन प्रभाग, रेणुका, सोनभद्र

देशीय वनाधिकारी  
शिवा, ले  
उत्तर वन प्रभाग, रेणुका, सोनभद्र



*[Handwritten mark]*

नियुक्त विधि निविदा सूचना

दिनांक 23/09/2023

द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत पिपरी पिपरी में विभिन्न गणों से प्राप्त होने वाली भूजो कार्य कराने हेतु निविदा के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर निविदा दशमिये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदाता किसी एक कार्य अथवा कार्यों के लिये निविदा दे सकता है।

1- कार्य से सम्बन्धित विवरण निम्न है:-

क्र. सं०	जनपद का नाम	मद का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत पीओएसटीओ सहित (लाख ₹00 में)	बिड रिक्वोर्टी (₹0एम0डी0) (₹00में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य सहित (₹00में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	सोनभद्र	15 बी वि०आ० (अनटाइड ग्रान्ट, धुनियादी अनुदान)	वार्ड सं०-01 में गुप्ता होटल के पास दल्लू सेट जो से घर से संजय मोल्लड तक रंगीन रबर मोल्लड इण्टरलाकिंग, हाईमोड रसा चबूतरा, स्टील रेलिंग तथा नाली निर्माण कार्य।	7.98	16000.00	800.00	30 दिन
2	सोनभद्र	-तदेव	वार्ड सं०-06 में गुप्ता होटल के पास रिटैनिंग बॉल तथा यूरिनल का निर्माण कार्य।	1.37	2800.00	200.00	30 दिन
3	सोनभद्र	-तदेव	वार्ड सं०-06 में गुप्ता होटल के पास अबुल्ला चक्का से अशोक जी के घर तक शक्तिनगर मार्ग पर रंगीन रबर मोल्लड इण्टरलाकिंग तथा नाली कवर्ड करने का निर्माण कार्य।	7.64	15300.00	800.00	30 दिन
4	सोनभद्र	-तदेव	वार्ड सं०-06 में गुप्ता होटल के पास नधुनी चाचा जी के घर से दीपक कॅम्पिंग सेक्टर तक रंगीन रबर मोल्लड इण्टरलाकिंग, नाली कवर्ड करने का निर्माण कार्य।	7.82	15700.00	800.00	30 दिन
5	सोनभद्र	-तदेव	वार्ड सं०-06 कांश्चरीम आवास के पास चौराहे पर पार्क, रंगीन रबर मोल्लड इण्टरलाकिंग, स्टील रेलिंग तथा नाली कवर्ड करने का निर्माण कार्य।	7.98	16000.00	800.00	30 दिन
6	सोनभद्र	राज्य वित्त आयोग	वार्ड सं०-2/9 डोंगिया जलाशय के टापू में फ्लोटिंग में ग्रेट टी, ग्राफ-सफाई लोहे के पंगल। जान्वा द्वारा बैरिंकटिंग एवं रंगीन सीमेंटड बेच लगाने का कार्य।	9.60	19200.00	1000.00	30 दिन

- निविदा डाक्युमेंट को उपलब्धता (निविदा विक्रय) की तिथि- दिनांक 25.09.2023 से 16.10.2023 को समय सायं 4.00 बजे तक।
- निविदा फार्म कार्यालय नगर पंचायत पिपरी, सोनभद्र से निर्धारित तिथि तक प्राप्त की जा सकती है।
- निविदा खोलने की तिथि, समय व स्थान- दिनांक 17.10.2023 को समय अपरान्ह 02.00 बजे तक, जिलाधिकारी कार्यालय कमरा नं०-11, स्थानीय निकाय निर्वाचक कक्ष।
- निविदा खोलने की तिथि, समय व स्थान- दिनांक 17.10.2023 को समय अपरान्ह 03.00 बजे तक, जिलाधिकारी कार्यालय कमरा नं०-11, स्थानीय निकाय निर्वाचक कक्ष।
- निविदा खोलने के लिये प्रपत्र के साथ निविदा के साथ निविदा के लिये नगर पंचायत पिपरी के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

महान नियम एवं शर्त निविदा प्रपत्र 4 साथ संलग्न है।

निविदा खोलने की तिथि को अस्कारा पहने अथवा अन्य किसी भी कारणों से निविदा नहीं खोली जाती तो निविदा आगामी कार्य दिवस में

अधीनस्थ अधिकारी  
नगर पंचायत, पिपरी  
सोनभद्र।

अध्यक्ष  
नगर पंचायत, पिपरी  
सोनभद्र।



# 176

N.C.R.B (एन.सा.आर.बी)

संलग्नक - 15 (II)

**FIRST INFORMATION REPORT**  
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई):  
सोनभद्र

P.S. (थाना): पिपरी

Year (वर्ष): 2019

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0155

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक  
और समय): 01/08/2019 14:10 घंटे

2. S.No.  
(क्र.सं.)

Acts (अधिनियम)

Sections (धारा(एँ))

1	भारतीय वन अधिनियम, 1927	5
2	भारतीय वन अधिनियम, 1927	26
3	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980	3B
4	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	27
5	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	29
6	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	39(D)
7	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	51
	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3(2)(क)
	भा दं सं 1860	447

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1  
B



1 Day (दिन): बुधवार

Date from (दिनांक से):  
31/07/2019Date To (दिनांक  
तक): 31/07/2019Time Period (समय  
अवधि): पहर 5Time From (समय से):  
15:00 बजेTime To (समय  
तक): 15:00 बजे(b) Information received at P.S. (थाना  
जहां सूचना प्राप्त हुई):Date (दिनांक):  
01/08/2019Time (समय):  
14:10 बजे(c) General Diary Reference  
(रोजनामचा संदर्भ):Entry No. (प्रविष्टि  
सं.): 027Date and Time  
(दिनांक और  
समय):

01/08/2019

14:10 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और  
दिशा): पूर्व, 01 कि. मी.Beat No. (बीट  
सं.):

(b) Address (पता): वार्ड नं0 10 तुर्सा,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि  
थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): संजीव कुमार वन रक्षक

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /  
वर्ष): 1981

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):



Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	रेनुकूट बीट, पिपरी, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	रेनुकूट बीट, पिपरी, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9838708806



*Handwritten signature*

Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात /  
संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	अनिल कुमार		पिता का नाम : आर0पी0 सिंह	1. सी0 295,स्थाई थाना पिपरी,पिपरी,सोनभद्र,उत्तर प्रदेश,भारत
2	दिग्विजय सिंह		पिता का नाम : शत्रुधन सिंह	1. न्यू मार्केट तुरी,पिपरी,सोनभद्र,उत्तर प्रदेश,भारत
3	विजय बहादुर यादव अधिसासी अधिकारी			1. नगर पंचायत पिपरी,पिपरी,सोनभद्र,उत्तर प्रदेश,भारत
4	प्रदीप सिंह	रानू	पिता का नाम : छोटेलाल सिंह	1. सी-300,स्थाई सिचाई विभाग कालोनी,पिपरी,सोनभद्र,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता /  
सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))



*(Handwritten signature)*

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)  
(क्र.सं.)



Ad

## First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में थानाध्यक्ष थाना पिपरी महोदय, कल दिनांक 31.07.2019 को समय लगभग 03.00 सायं तुरा पिपरी वार्ड नं० 10 में सिचाई विभाग / विद्युत् विभाग S/O आर०पी० सिंह हाल मुकाम सी-295 स्थाई थाना पिपरी सोनभद्र द्वारा अवैध रूप से वृक्षों को कटान कर झांडी झांखाडी साफ कर लगभग 15 विस्वा में खूटा खम्भा गांडकर लोहे की टिन लगाकर गेट लगाकर अवैध कब्जा किया जा रहा था मामले की गम्भीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को मोबाइल फोन द्वारा सूचित किया तथा पुलिस विभाग को भी सूचित किया उच्च अधिकारियों व श्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा उ०क्षे०व० अधिकारी पिपरी दीपचन्द्र वन दरोगा पिपरी रेंज श्री शैलेन्द्र कुमार विमल वनरक्षक आदि अधिकारियों के मौके पर पहुंचते ही अभियुक्त मौके से भाग गया । अतिक्रमण हेतु लगाये गये सामान को जब्त कर अपने कब्जे में लेते हुए रेंज परिसर लाया । पास में ही दिग्विज सिंह S/O शत्रुधन सिंह न्यू मार्केट तुरा पिपरी सोनभद्र, विजय बहादुर यादव अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत पिपरी सोनभद्र व प्रदीप सिंह उर्फ रानू S/O छोटेलाल सिंह हाल मुकाम सी- 300 स्थाई सिंचाई विभाग कालोनी थाना पिपरी सोनभद्र द्वारा हस्तांतरित वन भूमि में अवैध रूप से सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा था । इनके द्वारा वन भूमि में अवैध रूप से सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा था । इनके द्वारा वन भूमि में अवैध रूप से वृक्षों का कटान कर अतिक्रमण करने पर घटना स्थल से गैता तगाड़ी एवं प्रकाष्ठ बरामद कर अपने कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय परिसर लाया । लोक सम्पत्ति को काफी क्षति पहुंचायी गयी है भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5/26 (उ०प्र० संशोधन 2000) एवं वन संरक्षण अधि० 1980 की धारा 3(2) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 27, 29, 39D व 51 एवं लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3(2)क एवं IPC CRPC एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत FIR दर्ज करने की कृपा करे । जब्त सामग्री को रेंज कार्यालय रखा गया है । भवदीय संजीव कुमार (संजीव कुमार) वनरक्षक रेनुकूट बीट दिनांक 1.08.2019 मो० 9838708806 नोटः- मैं का०मु० राकेश चौरसिया प्रमाणित करता हूं कि तहरीर की नकल शब्द व शब्द अंकित किया गया ।



Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): उपनिरीक्षक/ नाम): KAMLA PRASAD अवर निरीक्षक

No. (सं.): 822090193 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)



14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): MOOL CHANDRA CHAURASIYA

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 012090062

ca

Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1984		-		चेचक: नहीं
2	पुरुष	1984		-		चेचक: नहीं
3	पुरुष	1983		-		चेचक: नहीं
4	पुरुष	1987		-		चेचक: नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13



Language/  
Dialect  
(भाषा/बोली)

Place of (का स्थान)

Others (अन्य)

Burn  
Mark  
(जले हुए  
का  
निशान)Leucoder  
ma  
(लुकोदेर्मा(  
सफ़ेद  
धब्बे))Mole  
(मस्सा)Scar  
(घाव)Tattoo (गूदे  
हुए का)

14

15

16

17

18

19

20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)



Q.N.



दिनांक अंक  
किया गया

कैस का आठ पिपरी रेंज ।  
कृष्ण सन्निभ जॉन्सोपॉई उप  
प्रभु का आठ पिपरी के माध्यम  
से प्रस्तुत करें ।

प्रिन्सिपल  
20/12/21

नवा में,  
प्रबन्धक,  
रेकुट ।

सर्वेक्षण, कैस मुकदमा सं (2082/2022)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र में  
लान्वर है अतः कैस प्रामाणिक करके  
प्रीसप. है

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
विपरीत उर्व वन प्रभाग, रेकुट

हीनकर आठ पिपरी व उप प्र. कृ  
(पिपरी) के अस्तित्व सिद्धि के  
आधार पर उक्त कैस को  
प्रतिबल प्रस्तुत किया जाते  
है

प्रभागीय वनाधिकारी  
रेकुट वन प्रभाग, रेकुट  
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश



Handwritten signature

**FIRST INFORMATION REPORT**  
(Under Section 154 Cr.P.C.)

1100-15-17(I)

प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): सोनभद्र P.S. (थाना): पिपरी Year (वर्ष): 2019

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0184

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 18/10/2019 01:00 घंटे

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	332
2	भा दं सं 1860	447
3	भारतीय वन अधिनियम, 1927	5
4	भारतीय वन अधिनियम, 1927	26
5	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3(2)(क)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): गुरुवार Date from (दिनांक से): 17/10/2019 Date To (दिनांक तक): 17/10/2019  
Time Period (समय अवधि): पहर 4 Time From (समय से): 11:00 बजे Time To (समय तक): 11:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 18/10/2019 Time (समय): 01:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003



Date and Time  
(दिनांक और  
समय):  
18/10/2019  
01:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 01 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):
- (b) Address (पता): वार्ड न0-7, महामाया मन्दिर,
- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): शैलेन्द्र कुमार विमल वन रक्षक रेनुकूट बीट
- (b) Father's Name (पिताका नाम): स्व0 रामाधनी विमल
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1984 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
- (e) UID No. (यूआईडी सं.):
- (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान संख्या)



24

2

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	वन रक्षक बीट , रेनुकूट थाना पिपरी सोनभद्र , पिपरी, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	गौरी, ललौली, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8795204743

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	अजय गुप्ता		पिता का नाम : रामकिशोर गुप्ता	1. वार्ड न0- 7,सिचाई विभाग कालोनी,पिपरी,सोनभद्र,उत्तर प्रदेश,भारत
	शिवप्रताप सिंह	रिंकू सिंह	पिता का नाम : शत्रुघन सिंह	1. वार्ड न0-7,सिचाई विभाग कालोनी,पिपरी,सोनभद्र,उत्तर प्रदेश,भारत



8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
---------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------	------------------------	---------------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
---------------------	--------------------------------



*Handwritten signature*

## First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, थानाध्यक्ष थाना पिपरी महोदय निवेदन है कि आज दिनांक-17.10.2019 को समय लगभग 11 बजे दिन आपको पूर्व में दी गयी सूचना दिनांक-16.10.2019 के आधार पर पुलिस बल व श्री वी0के0 पाण्डेय क्षेत्रीय वन अधिकारी पिपरी, धीरेन्द्र कुमार मिश्रा उप क्षेत्रीय वन अधिकारी पिपरी, संजीव कुमार वन रक्षक व विनीत सिंह वन रक्षक के साथ सिंचाई विभाग/विद्युत विभाग को हस्तांतरित वन भूमि में वार्ड न0-7 महामाया मंदिर के निकट अजय गुप्ता S/O राम किशोर गुप्ता वार्ड न0-7 सिंचाई विभाग कालोनी पिपरी थाना पिपरी जिला-सोनभद्र द्वारा नयी चारदीवारी बनाकर लोहे का गेट लगाकर अवैध अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था। मौके पर पहुंच कर लगभग 3 बिस्ता वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर लोहे का गेट व दस लोहे की पतली टीन चादर वरामद करने की कार्यवाही की जा रही थी इसी बीच शिवप्रताप सिंह उर्फ रिकू सिंह S/O शत्रुघन सिंह पता- सिंचाई विभाग कालोनी पिपरी थाना-पिपरी सोनभद्र अन्य कई लोग मौके पर पहुंचकर राजकीय कार्य करने में व्यवधान किये तथा अमादाफांजदारी होते हुए हम लोगों से उलझ गये तथा तुरंत पिपरी के वन भूमि में अवैध अतिक्रमण को न हटाने की धमकी देने लगे। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5/26 (30प्र0 वन संशोधन अधिनियम 2000) वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2,3 एवं लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम 2 (3) एवं IPC की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा करे। प्रार्थी शैलेन्द्र कुमार विमल वन रक्षक रेनुकूट वीट थाना पिपरी सोनभद्र 8795204743 दि0 17/10/2019 थानाध्यक्ष पिपरी सोनभद्र कृपया उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध F.I.R दर्ज करने की कृपा करे। ह0अपठनीय मय मोहर वी0के0 पाण्डेय क्षेत्रीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग सोनभद्र नोट:- मैं का0मु0 सूरज सरोज प्रमाणित करता हूं कि प्रार्थना पत्र की नकल शब्द व शब्द अंकित किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)



*(Handwritten signature)*

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): उपनिरीक्षक/  
नाम): AFROJ ALAM अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972300229 to take up the Investigation (को जांच  
अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण  
इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly  
recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई  
माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge,  
Police Station (थाना प्रभारी के  
हस्ताक्षर)

Name (नाम): ABHAY  
NARAYAN TIWARI

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 832030800

14. Signature / Thumb impression  
of the complainant / informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के  
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और  
समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना  
रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the  
suspect/accused: ( If known / seen )

दिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया)

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1981		-		
2	पुरुष	1977		-		चेचक: नहीं
						चेचक: नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/ Dialect (भाषा/बोली)

Place of (का स्थान)

Others (अन्य)

Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)
15	16	17	18	19



*(Handwritten signature)*


17 (VII)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)





*Qid*